भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3243

शुक्रवार, 28 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

महत्वपूर्ण घटकों के लिए चीन पर निर्भरता

3243. श्री के. आर. एन. राजेश कुमारः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा बारम्बार 'आत्मनिर्भर भारत' का दावा किए जाने के बावजूद, महत्वपूर्ण भारी उद्योग घटकों के लिए चीन पर निर्भरता कम करने में विफल रहने के क्या कारण हैं;

(ख) चीन से आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या घरेलू उद्योगों के विकास की निगरानी करने और चीन से आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एक समर्पित कार्य-बल या एजेंसी स्थापित करने की कोई योजना है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग): भारत सरकार ने घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने, निर्यात को प्रोत्साहित करने, आपूर्ति श्रृखंलाओं में विविधता लाने और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सक्रियता बरतते हुए विभिन्न उपाय किए हैं। यह भारत के व्यापक 'आत्मनिर्भर भारत' विजन का भाग है, जिसका लक्ष्य भारत को सुदृढ़ विनिर्माण हब बनाना और किसी एक देश पर निर्भरता को कम करना है।

'मेक इन इंडिया' पहल की शुरुआत 25 सितंबर, 2014 को की गई थी, ताकि इससे निवेश को सुविधाजनक बनाया जाए, नवप्रयोग को प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके, सर्वश्रेष्ठ अवसंरचना का निर्माण हो सके और भारत को विनिर्माण, डिजाइन तथा नवप्रयोग का हब बनाया जा सके। इस कार्यक्रम के तहत, सरकार ने 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिक्ल्स, व्हाइट गुड्स, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों इत्यादि में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की शुरुआत की है, जिससे निर्यात पर निर्भरता कम की जा

सके। वर्तमान में, मेक इन इंडिया 2.0 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों के 27 क्षेत्रों पर फोकस करती है। मेक इन इंडिया 2.0 के तहत आनेवाले इन क्षेत्रों की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई), एडवांस केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज के संबंध में राष्ट्रीय कार्यक्रम नामक उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम का संचालन करता है। दो वर्षों की निर्माणावधि के पश्चात् 5 वर्ष की अवधि के लिए 50 जीडब्ल्यूएच की क्षमता हेतु इस स्कीम का कुल वित्तीय परिव्यय 18,100 करोड़ रुपए है। पीएलआई एसीसी स्कीम के उद्देश्यों में स्वदेशी विनिर्माण, लागत प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा, निवेश व नवप्रयोग को प्रोत्साहन, सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला का विकास, रोजगार सृजन तथा स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना शामिल है, ताकि इससे आयातित बैटरियों पर निर्भरता कम हो और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के व्यापक लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में सहायता प्रदान की जा सके।

यह स्कीम प्रौद्योगिकी निरपेक्ष है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकियों को उच्चतर प्रोत्साहन प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लाभार्थी फर्मों द्वारा अनुसंधान और विकास पर किए गए व्यय को अनुमति प्रदान की जाती है, ताकि वे सोडियम-आयन और सॉलिड-स्टेट बैटरी सहित नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपना सकें, जो चीन से किए जाने वाले आयात जैसे लीथियम आदि पर निर्भर न रहते हुए किफायत, रिसाइक्लेबिलिटी और बेहतर सुरक्षा जैसे लाभ प्रदान करते हैं।

"आत्मनिर्भर भारत" पहल के तहत, घरेलू विनिर्माताओं को खरीद प्रक्रिया में प्राथमिकता प्रदान करने के लिए, 29 सितंबर, 2020 को औद्योगिक बॉयलर (स्टीम जेनरेटर्स) के संबंध में सार्वजनिक खरीद आदेश (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) जारी किया गया था। देश में उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और घटिया आयात पर रोक लगाने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने निम्नलिखित गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जारी किए हैं:

i. दिनांक 7 मई, 2015 की अधिसूचना के तहत 2500 केवीए, 33 केवी तक और उसके सहित आउटडोर टाइप ऑयल इमर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स के लिए विद्युत ट्रांसफार्मर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ), 2015।

ii. दिनांक 11 नवंबर, 2020 की अधिसूचना के तहत, कम वोल्टेज स्विचगियर्स और कंट्रोलगियर्स के लिए विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण)

आदेश, 2020, जिसे बाद में दिनांक 9 मई, 2023 और 3, मई 2024 की अधिसूचनाओं के तहत संशोधित किया गया।

भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने भारतीय पूंजीगत वस्तु चरण-II के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए 25 जनवरी, 2022 को स्कीम अधिसूचित की है, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करना और घरेलू तथा निर्यात प्रयोजनों के लिए पूंजीगत वस्तु के क्षेत्र में विनिर्माण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना है। इस स्कीम का वित्तीय परिव्यय 1207 करोड़ रुपए है, जिसमें 975 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता और 232 करोड़ रुपए का उद्योग अंशदान शामिल हैं। मशीन विनिर्माताओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सीमित उपलब्धता के कारण भारी उद्योग के महत्वपूर्ण घटकों के लिए आयात पर निर्भरता की समस्या को इन पहलों के जरिए हल किया गया है।

रेल मंत्रालय ने कोच, लोकोमोटिव और वैगनों को तैयार करने तथा इनके रख-रखाव के लिए उपयोग किए जाने वाले व्हील्स और एक्सल जैसे महत्वपूर्ण घटकों के विनिर्माण के लिए स्वदेशी क्षमता विकसित करने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे:

i. देश को फोर्ज्ड व्हील्स के क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर' बनाने के लिए भारत में फोर्ज्ड व्हील्स संयंत्र से वार्षिक 80000 फोर्ज्ड व्हील्स की आपूर्ति के लिए मेक इन इंडिया दीर्घकालिक करार करना।

ii.भारतीय रेल ने वर्ष 2024 में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) से रायबरेली स्थित फोर्ज्ड व्हील संयंत्र का अधिग्रहण कर लिया है। इस संयंत्र के जरिए व्हील्स का उत्पादन वर्ष 2023-24 के 21000 व्हील्स से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 35000 तक पहुंच गया है।

iii. भारतीय रेल ने एमएसएफ (पीएसयू), जो पहले केवल रक्षा मंत्रालय की अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर रहा था, से लगभग 30,000 एक्सल्स की बल्क सोर्सिंग शुरू कर दी है।

iv. आरडब्ल्यूएफ/बेंगलुरु में एक्सल विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए एक नई मशीनिंग असेंबली लाइन कमीशन की गई है।

v. भारतीय रेल अपनी व्हील्स और एक्सल तैयार करने की अधिकांश जरूरतों को आरडब्ल्यूएफ/बेंगलुरु, आरडब्ल्यूपी/बेला और रायबरेली में नई अधिगृहीत इकाई (आरआईएनएल से) के माध्यम से पूरा करती है। भारतीय रेल, फोर्ज्ड व्हील्स सेल से और एक्सेल एमएसएफ (रक्षा मंत्रालय का पीएसयू) से स्वदेशी रूप से प्राप्त करता है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने सौर उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय शुरू किए हैं:

(i) उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल के लिए 24,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, ताकि इससे उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल में गीगा वाट (जीडब्ल्यू) स्केल की घरेलू विनिर्माण क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

(ii) एमएनआरई की कुछ मौजूदा स्कीमों, अर्थात् सीपीएसयू स्कीम चरण-II, पीएम-कुसुम घटक बी और सी, और पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत, सौर पीवी सेल और मॉड्यूलों को घरेलू स्रोतों से प्राप्त करना अधिदेशित किया गया है।

(iii) सौर पीवी सेल, सौर पीवी मॉड्यूल और सोलर ग्लास के आयात पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) लगाया गया है।

(iv) सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की प्रारंभिक स्थापना के लिए सामग्री/उपकरण के आयात हेतु सीमा शुल्क रियायत प्रमाण-पत्र जारी करना दिनांक 02.02.2021 से बंद कर दिया गया है।

विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में चल रही स्कीमों के अलावा, सरकार ने भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें वस्तु और सेवा कर की शुरुआत, कॉरपोरेट कर में कमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, एफडीआई नीति संबंधी सुधार, अनुपालन बोझ में कमी के लिए किए गए उपाय, सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेश, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) तथा क्यूसीओ (गुणवता नियंत्रण आदेशों) के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उपाय इत्यादि शामिल हैं। भारत में घटिया उत्पादों के आयात को कम करने के लिए इस्पात, खिलौने, रसायन, चमड़ा और फुटवियर जैसे कई उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) लागू किए गए हैं।

सरकार विभिन्न क्षेत्रों में आयात में वृद्धि को भी नियमित आधार पर मॉनीटर करती है और उस पर उचित कार्रवाई करती है। इसके अलावा, व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) को अनुचित व्यापार पद्धतियों के विरुद्ध व्यापार सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

अनुबंध

दिनांक 28.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3243 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विनिर्माण क्षेत्र:

i. एरोस्पेस और रक्षा
ii. ऑटोमोटिव और ऑटो घटक
iii. फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण
iv. जैव-प्रौद्योगिकी
v. पूंजीगत वस्तुएं
vi. वस्त्र एवं परिधान
vii. रसायन और पेट्रो रसायन
viii. इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम)
ix. चमड़ा और फुटवियर
x. खाद्य प्रसंस्करण
xi. रत्न और आभूषण
xii. पोत परिवहन
xiii. रेलवे
xiv. निर्माण
xv. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

सेवा क्षेत्र:

xvi. सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस)
xvii. पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं
xviii. मेडिकल वैल्यू ट्रैवल
xix. परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाएं
xx. लेखा और वित्त सेवाएं
xxi. ऑडियो विजुअल सेवाएं
xxii. कानूनी सेवाएं
xxiii. संचार सेवाएं
xxiv. निर्माण और इससे संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं
xxv. पर्यावरणीय सेवाएं
xxvi. वित्तीय सेवाएं
xxvii. शिक्षा सेवाएं
